

File No.A.12026/1/2017-E.III/123/9/2018

Government of India

Ministry of Water Resources, RD & GR

\*\*\*

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,

New Delhi, Dated: 18<sup>th</sup> January, 2018



To

1. The Secretaries of all Ministries/ Department of Govt. of India as per list attached.
2. Chief Secretaries All State Govts./UT Administration as per list attached.
3. All organisations under M/o WR, RD & GR as per list attached.

Sub.: Filling up of one post of General Manager in Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body of Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on deputation (including short term contract) basis.

Sir,

I am directed to say that applications are invited for filling up of the 01 (one) post of General Manager in the pay band-4 of Rs. 37400-67,000 plus grade pay of Rs. 10000/- (6<sup>th</sup> CPC Scale) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The General Manager, as Chief Executive Authority of the Board, shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Board. He shall prescribe and assign the duties of all officers and staff of the Board who are sub-ordinate to him and shall exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary and shall co-ordinate the activities of various units under the Board. The General Manager shall also exercise and discharge such of the powers and duties of the Chairman, as may be delegated to him by the Chairman and as may be determined by the regulations. The General Manager shall also exercise the powers and duties as prescribed under rule 16 of the Brahmaputra Board Rules, 1981 in matters pertaining to budget and allocation or re-appropriation of grants.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Services-I Branch

Diary No. 11441

Date 30/01/18

Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or public sector undertakings or recognized Research Institutions or statutory organisations;

- (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or  
(ii) holding the post of Additional Chief Engineer or Superintending Engineer in the Pay band- 4 with grade pay of Rs.8900 or Rs. 8700 with two years or three years regular service respectively in the grade; and

Possessing the following educational qualifications and experience-

- i. Degree in Civil Engineering from a recognized University ; and.
- ii. 15 years' experience in the field of Investigation, Planning, Design, Execution, Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects, Environment, Administration, Management; or
- iii. 15 years' experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood Management, River Training Works and General Administration; or

(B) (i) All India Service officers holding the post in pay band -4 with grade pay of Rs.8900 with two years of regular service and having 15 years' experience; or (ii) All India Service officers holding the post in Pay band - 4 with grade pay of Rs.8700 with three years regular service and having 15 years' experience.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.

5. AGE: The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation

(duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

9. Applications with full particulars of the applicant in Annexure-I to V should reach to Smt. Shalini Juneja, Under Secretary, Ministry of Water Resources, RD & GR, 6th Floor, Room No.625, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110 001 within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News (23-29 December, 2017). All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.

10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma as given in Annexure-2 (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance as given in Annexure-3 (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years as given in Annexure-4 and (v) Integrity Certificate as given in Annexure-5 and (vi) Cadre Clearance.

11. The details of advertisement and the application forms can also be downloaded from the Ministry's website - <http://wrmin.nic.in>.

Yours faithfully,

  
(Shalini Juneja)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel: 23718165

Copy to:

1. Vice Chairman, Brahmaputra Board, with request for uploading the enclosed advertisement on their website immediately.

फाइल सं. ए 12026/1/2017-ई-III/12319/2018

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

\*\*\*

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक: 18 जनवरी, 2018

सेवा में

1. संलग्न सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. संलग्न सूची के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव।
3. संलग्न सूची के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठन।

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांविधिक निकाय-ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर पे- बैंड-4, 37400-67000/-रुपये + ग्रेड वेतन 10000/- रुपये (छठे वेतन आयोग का वेतनमान) में महाप्रबंधक का 01 (एक) पद भरने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांविधिक निकाय-ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर पे- बैंड-4, 37400-67000/-रुपये + ग्रेड वेतन 10000/- रुपये (छठे वेतन आयोग का वेतनमान) में महाप्रबंधक का 01 (एक) पद भरने के लिए आवदन आमंत्रित किए जाते हैं।

## 2. कार्य के संक्षिप्त दायित्व

महाप्रबंधक, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बोर्ड के कार्यों के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड के अपने मातहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की इयूटी निर्धारित करेगा और उन्हें सौंपेगा तथा यथावश्यक पर्यवेक्षी और अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेगा और बोर्ड के अंतर्गत विविध इकाइयों के कार्यकलापों को समन्वित करेगा। महाप्रबंधक, अध्यक्ष की उन शक्तियों का प्रयोग और इयूटियों का निर्वाह भी करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जाएगी और जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी। महाप्रबंधक, बजट और आबंटन अथवा अनुदानों का पुनः संबंधी मामलों में, ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, विनियोग 1981 के नियम 16 में यथा निर्धारित शक्तियों और इयूटियों का भी निर्वाह करेगा।

3. पात्रता मानदंड

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थओं अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी, जो:

- (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हो; अथवा
- (ii) ग्रेड में वेतन बैंड 4-में क्रमशः रूपए अथवा 8700 रूपए के ग्रेड वेतन में अपर मुख्य 8900 इंजीनियर अथवा अधीक्षण इंजीनियर के पद पर दो वर्ष अथवा तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो।

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में डिग्री; और

(ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषणआयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन और, अनुरक्षण, पर्यावरण, प्रशासन, प्रबंधन के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव;

(iii) अथवा मास्टर प्लानबाद प्रबंधन, नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य बनाने हेतु विस्तृत योजनाएं, अथवा सामान्य परशासन में वर्ष का अनुभव अथवा 15

(iv) बाद प्रबंधननदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यों के लिए मास्टर प्लान विस्तृत योजनाएं तैयार, करने और सामान्य प्रशासन में 15 वर्ष का अनुभव; अथवा

(ख) (i) वेतन बैंड 8900 4-रूपए ग्रेड वेतन में पद धारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी जिसे वर्ष का अनुभव हो 15; अथवा

(ii) वेतन बैंड-4, 8700 (ग्रेड वेतन में पद धारित वर्ष की नियमित सेवा वाला अखिल भारतीय 3 सेवा का अधिकारी जिसे 15 वर्ष का अनुभव हो।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविद सहित) सामान्यतया केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविद समेत) सहित, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आयु- प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालीन संविद सहित द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।

8. चयनित अधिकारी के पास, कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

9. अनुलग्नक-1 से V में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन, रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख (23-29 दिसम्बर, 2017) से 60 दिन के अंदर श्रीमती शालिनी जुनेजा, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, छठ तल, कमरा सं. 625, भ्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जांचकारी गृहीत रखी जाएगी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मागे गए संपूर्ण ब्यौरे के बिना किए गए आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

10. मात्र एस अधिकारी/अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रपत्र में जीवन वृत्त (चार प्रति) (ii) अवर सचिव अथवा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी से सत्यापित विगत पांच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) अनुलग्नक-3 में दिए गए प्रपत्र में सतर्कता स्वीकृति (iv) अनुलग्नक-4 के प्रपत्र के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई, यदि कोई हो, बड़ी या छोटी शासति का ब्यौरा और (v) अनुलग्नक-5 के अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो।

11. विज्ञापन का ब्यौरा और आवेदन का प्रारूप मंत्रालय की वेब साइट- <http://wrmln.nic.in> से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

भवदीय,

शालिनी जुनेजा  
(शालिनी जुनेजा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23718165

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. उपाध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड। अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन को अपने संगठन की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।